बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खाता जमा योजना

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1.	**योजना का नाम**	**बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खाता जमा योजना** **BRKGB PREMIUM CURRENT ACCOUNT DEPOSIT SCHEME**
2.	उत्पाद / योजना	चालू खाता श्रेणी के ग्राहकों को अपनी आवश्यकतानुसार निजी / व्यावसायिक जरूरतों के हिसाब से आटो स्वीप एवं रिवर्स स्वीप जैसी सुविधाओं से युक्त यह उत्पाद **''बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खाता''** एक उन्नत संस्करण है जिसमें शेष राशि होने पर अथवा विशेष अनुमत राशि तक कितनी भी बार आहरण करने की अनुमति दी जाती है।
3.	स्कीम कोड	बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खाते निम्न स्कीम कोड के तहत खोले जायेंगे – CA 108 BRKGB Premium Current Account
4.	खाता खोलने हेतु पात्रता	खाता खोलते समय शाखा स्तर पर "अपने ग्राहक को जानिये" मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित नियमों एवं दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए, कोई भी व्यवसायी ग्राहक, व्यक्ति से भागीदारी फर्म और लिमिटेड़ कम्पनी से बड़े कार्पोरेट तक बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खाता खोल सकते हैं।
5.	चालू खाता कौन नहीं खोल सकता	निम्नलिखित श्रेणियों के ग्राहक बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खाता नहीं खोल सकते – 1. निरक्षर 2. 14 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग एकल अथवा संरक्षकों के साथ संयुक्त रूप से
6.	खाता खोलने हेतु न्यूनतम शेष	खाता खोलते समय न्यूनतम प्रारम्भिक जमा राशि रू. 1,00,000 / – होगी।
7.	फोटोग्राफ	सभी खातों में खाताधारकों के फोटोग्राफ प्राप्त किये जाएंगे।
8.	परिचालन	खाते के परिचालन हेतु विशेष अनुदेश दिया जा सकेगा। संयुक्त खातों, एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी आदि के खातों में खाते के परिचालन हेतु बैंक नियमानुसार अनुदेश दिया जाना चाहिए। खाता परिचालन के संबंध में मुख्तारनामा (Power of Attorney) एवं अधिदेश पत्र (Mandate) जहां आवश्यक हो, स्वीकार किये जा सकते हैं।
9.	चैक बुक जारी करना	बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खाते में प्रथम चैक बुक निशुल्क जारी की जावेगी। इस खाते में चैक बुक जारी करने का कार्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
10.	चैक / चैक बुक खो जाने पर नयी चैक बुक जारी करना	चैक / चैक बुक गुम होने की सूचना मिलने पर, खातेदार द्वारा विधिवत रुप से हस्ताक्षरित भुगतान रोकने के अनुदेश प्राप्त कर सिस्टम में "भुगतान रोकें" नोट किया जाएगा।

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
11.	चैकों का भुगतान	चैकों का भुगतान पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार सामान्य प्रावधान की पालना करते हुए किया जाएगा।
12.	चैकों का भुगतान रोकना	चैकों का भुगतान रोकने का पत्र, खाताधारक के हस्ताक्षर से प्राप्त होने पर, भुगतान रोकने के अनुदेशों का रिकार्ड़ रखते हुए, सिस्टम में भुगतान रोकने का रिमार्क लगाया जाएगा।
13.	न्यूनतम शेष प्रभार	प्रभार तिमाही औसत शेष नहीं रखने पर रू. 500/— प्रति तिमाही
14.	अवधि से पहले खाता बन्द करने के प्रभार	रू. 1000/— (यदि खाता एक वर्ष पूरा होने से पहले बन्द किया जाता है)
15.	ब्याज का भुगतान	भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशाानुसार बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खातों में जमा शेष पर (आटो स्वीप के अन्तर्गत अल्पावधि जमा की राशि को छोड़कर) कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

<u>बीआरकेजीबी प्रीमियम चालू खाता जमा योजना की अन्य विशेषताएं</u>

1.	खातों में आहरण	खातों में आहरणों की संख्या और राशि पर कोई रोक नहीं है।
2.	तीसरी पार्टी के चैक तथा परांकित चैक	तीसरी पार्टी के चैक तथा परांकित चैक, वसूली तथा खाते में जमा करने के लिए कतिपय शर्तो के अधीन चालू खाते में जमा किये जा सकते है।
3.	न्यूनतम तिमाही औसत शेष	रू. 1,00,000/—
4.	खाते का विवरण (स्टेटमेन्ट)	महिने में दो बार ई—स्टेटमेन्ट निःशुल्क
5.	शेष प्रमाण पत्र	निःशुल्क
6.	हस्ताक्षर सत्यापन	निःशुल्क
7.	फोलियों प्रभार	कुछ नहीं
8.	डिमाण्ड़ ड्राफ्ट सुविधा	50% छूट
9.	बैंकर्स चैक सुविधा	50% छूट
10.	बाहर गांव (Outstation) की सीबीएस शाखाओं में (क्लियरिंग क्षेत्र के बाहर) निधि अन्तरण	कोई प्रभार (इन्टरसोल प्रभार) नहीं
11.	अ) बाहर गांव (Outstation) की नॉन बेस शाखाओं के माध्यम से उस केन्द्र के क्लियरिंग क्षेत्र के भीतर की अन्य बैंक शाखाओं पर आहरित चैकों का कलेक्शन आ) चैक भौतिक रूप से ड़ाक द्वारा भेजते हुये बाहर गांव (Outstation) के चैकों का कलेक्शन	अ) कोई कलेक्शन चार्जेज नहीं, केवल ड़ाक खर्च वसूल किया जायेगा। आ) सामान्य कलेक्शन चार्जेज का 50% + ड़ाक खर्च

.....3

12.	आटो स्वीप	पूर्व निर्धारित (Default Setting) आरम्भिक सीमा रू. 1,00,000/– से अधिक राशि रू. 25,000/– के गुणक में उपलब्ध
13.	रिवर्स स्वीप	पूर्व निर्धारित (Default Setting) आवश्यकता होने पर रू. 25,000/– के गुणक में रिवर्स आटो स्वीप उपलब्ध, इसके लिये बाद में जमा राशि पहले स्वीप होगी
14.	अल्पावधि जमा की समय सीमा	न्यूनतम अवधि 15 दिन एवं अधिकतम 45 दिन होगी। अल्पावधि जमा पर ब्याज का भुगतान अल्पावधि जमा के लिये समय समय पर लागू दर के अनुसार किया जायेगा
15.	नेट बैंकिंग	निःशुल्क
16.	मोबाइल बैंकिंग	निःशुल्क
17.	डेबिट कार्ड सुविधा	निःशुल्क
18.	कार एवं आवास ऋणों पर प्रोसेसिंग प्रभारों से छूट	फर्म, कम्पनी के नाम से, फर्म के मालिक तथा कम्पनी के मामले में कम्पनी निदेशक के नाम पर कार एवं आवास ऋणों पर प्रोसेसिंग प्रभारों से छूट
19.	मालिक/भागीदारों/निदेशकों को लॉकर किराये में छूट	यदि तीन वर्षो का या अधिक समय का लॉकर किराया अग्रिम रूप से एक साथ अदा किया गया हो, तो लॉकर किराये में 20% छूट
20.	नकद जमाः 1. बेस और नॉन बेस शाखा में 2. बाहर गांव की नॉन बेस शाखा में (Outstation Non Base Branch)	अ) प्रतिदिन रू. 50,000/– तक के या 10 पैकेट (1000 नोटों) तक अर्थात् किसी भी मूल्य वर्ग की एक साथ ली गई राशि, जो भी ज्यादा हो – प्रभार रहित ब) 10 पैकेट अर्थात् 1000 नोटों से ज्यादा पर, प्रति पैकेट या उसके एक भाग पर – रू. 10/– और अधिकतम रू. 10,000/– तथा लागू दरों पर सेवा कर अतिरिक्त
21.	नकद आहरणः 1. स्थानीय बेस शाखा	प्रति दिन प्रति खाता किसी भी राशि के लिये/कितनी भी बार नकदी आहरण के लिये कोई प्रभार नहीं
	2. स्थानीय नॉन बेस/बाहरगांव की नॉन बेस शाखा (Local Non Base/Outstation Non Base Branch)	एक कलैंडर माह में हर खाते में किसी भी राशि के पहले दो संव्यवहारों पर कोई प्रभार नहीं, उसके बाद प्रति दिन प्रति खाते प्रत्येक नकदी आहरण के लिये रू. 25,000/– से अधिक राशि पर रू. 2/–प्रति हजार तथा लागू दरों पर सेवा कर अतिरिक्त टिप्पणीः 1. अन्य पार्टी को नकदी भुगतान नहीं किये जायेंगे 2. ग्राहकों के लिये 'स्वयं' के पक्ष में जारी चैकों (Self Cheque issued by Customer) के माध्यम से प्रति लेनदेन की सीमा रू. 50,000/– होगी।